न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/424

1. खुर्शीद अली आत्मज श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
2. जमीला बानो पुत्री श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
3. फरीदा पुत्रीर श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
4. अल्ताफ हुसैन आत्मज श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
5. गाबरिन अहमद पुत्र श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
6. एजाज हुसैन आत्मज अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
7. मुन्ना गौरी आत्मज श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
8. नीसम बानो पुत्री श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।
9. मुबारिक हुसैन आत्मज श्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ख्वाजू आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. श्री कमरू आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासी वक्फ वोर्ड कॉलोनी, चम्बल गार्डन के सामने कोटा ।
3. कयूम आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासी वक्फ वोर्ड कॉलोनी, चम्बल गार्डन के सामने कोटा ।
4. अयूब आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासी वक्फ वोर्ड कॉलोनी, चम्बल गार्डन के सामने कोटा ।
5. बबलू आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. श्रीमती फिरोज बेगम पत्नी श्री सलीम मुंशी जाति मुसलमान निवासी बजाज खाना कोटा।
7. श्रीमती कमरूनिशां पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी भोपालगंज भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक अली मोहम्मद ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली की कुल आराजी 09 बीघा 14 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम अटल सेवा केन्द्र सथूर में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.06.2015 से व्यथित होकर वादी मृतक अली मोहम्मद के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सहमति के बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध किया जाना प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा